

राजस्थान राजपत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन २६, शुक्रवार, शाके 1946-अक्टूबर 18, 2024 Asvina 26, Friday, Saka 1946- October 18, 2024

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 18, 2024

संख्या एफ. 3 (1) (20)प्रथम/निर्वा/2024/डी.407 :- भारत निर्वाचन आयोग की निम्न अधिसूचना सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है।

नवीन महाजन,

प्रमुख शासन सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 18 अक्तूबर, 2024

26 आश्विन, 1946 (शक)

<u>अधिसूचना</u>

- सं. 100/राज.-वि.स./8/2024:- यतः, राजस्थान राज्य की विधानसभा में 161-चौरासी (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री राजकुमार रोत का स्थान उनके त्याग-पत्र देने के कारण 14 जून, 2024 को रिक्त हो गया है; और
- 2. यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना हैः
- 3. **अतः, अब,** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150, धारा 30 और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वाराः-
- (अ) राजस्थान राज्य के उक्त 161-चौरासी (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्चाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार 25 नवम्बर, 2024 (सोमवार) से पहले राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ राजस्थान राज्य की किसी भी अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दिया जाए; और
- (ब) उक्त निर्वाचन के संबंध में, निम्नलिखित निर्धारित करता है:-
 - (क) नाम-निर्देशन करने हेतु अंतिम तारीख, 25 अक्तूबर, 2024 (शुक्रवार);
 - (ख) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा करने हेतु अंतिम तारीख, 28 अक्तूबर, 2024 (सोमवार);
 - (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने हेतु अंतिम तारीख, 30 अक्तूबर, 2024 (बुधवार);
 - (घ) जिस तारीख को, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान कराया जाएगा, 13 नवम्बर, 2024 (बुधवार);

- (ड) वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा, 25 नवम्बर, 2024 (सोमवार); और
- (स) पूर्वाहन 07:00 बजे से अपराहन 06.00 बजे तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान करवाया जाएगा।

आदेश से,

अश्वनी कुमार मोहल, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

<u>Dated: 18th October, 2024</u> 26 Asvina, 1946 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/RJ-LA/8/2024:- WHEREAS, the seat of Sh. Rajkumar Roat, in the Legislative Assembly of the State of Rajasthan, elected from 161-Chorasi (ST) Assembly Constituency, has become vacant on 14th June, 2024 by reason of his resignation; and

- 2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. **NOW, THEREFORE,** in pursuance of Section 150, Section 30 and Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby: –
- (A) Calls upon the said 161-Chorasi (ST) Assembly Constituency in the State of Rajasthan, to elect, before the 25th November, 2024 (Monday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person belonging to any of the Scheduled Tribes of Rajasthan State for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State; and
- **(B)** appoints, with respect to the said election, -
 - (a) the 25th October, 2024 (Friday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 28th October, 2024 (Monday), as the date for the scrutiny of nominations;
 - (c) the 30th October, 2024 (Wednesday), as the last date for the withdrawal of candidatures:

- (d) the 13th November, 2024 (Wednesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;
- (e) the 25th November, 2024 (Monday), as the date before which the election shall be completed; **and**
- (C) fixes the hours from 7.00 AM to 6.00 PM, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

BY ORDER,

ASHWANI KUMAR MOHAL, SECRETARY, ELECTION COMMISSIONOF INDIA.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।